पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/2025-26/ प्रेषक,

> आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर जोन, नोएडा, समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०, समस्त राज्य कर अधिकारी, उ०प्र०।

(वाद अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: ० 🕂 मई, 2025

दिनांक 22.04.2025 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं स्थायी अधिवक्ता के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु चर्चा की गयी। बैठक में उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा जारी परिपत्र संख्या-1406 दिनांक 12.01.2024 (प्रति संलग्न) में अंकित निम्नलिखित बिन्दुओं का फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है –

- "1. The column in which date of personal hearing has to be mentioned, only N.A. is mentioned without mentioning any date.
- 2. The column in which time of personal hearing has to be mentioned, only N.A. is mentioned without mentioning time of hearing.
- 3. In some cases, the date of personal hearing is prior to which reply to the Show Cause Notice has to be submitted this is non-est and this practice has to be discontinued. The date of reply to the Show Cause Notice has to be definitely prior to the date of personal hearing.
- 4. In some cases, the date of personal hearing is on the same date to which reply to the Show Cause Notice has to be submitted-this is non-est and this practice has to be discontinued. The date of reply to the Show Cause Notice has to be definitely prior to the date of personal hearing.

5. In all cases observed, the date of passing order either u/s 73(9)/74(9) etc. of the Act is not commensurate to the date of personal hearing. It is trite law that the date of the order has to be passed on the date of personal hearing. For e.g., the date of furnishing reply to SCN is 15.11.2023 and date of personal hearing is 17.11.2023, then the date of order has to be 17.11.2023."

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे त्रुटियों के कारण मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग के प्रकरण/रिट में बचाव किया जाना कठिन हो रहा है। इन त्रुटियों के आधार पर भविष्य में मा0न्यायालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध भारी अर्थदण्ड अथवा विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी निर्देश दिये जा सकते हैं।

फील्ड में कार्यरत विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे नोटिस एवं पारित आदेश को त्रुटिरहित किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही अपेक्षित है –

A. करदाता का पंजीयन (REG.) स्वत: (Suo Moto) / अन्य रूप से निरस्त (Cancelled) होने एवं वहाल (revocation) न होने की दशा में जारी नोटिस को करदाता के जी0एस0टी0पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से UPGST अधिनियम की धारा-169 (1)(डी) के अन्तर्गत प्रेषित किये जा रहे हैं। मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त पंजीयन से सम्बन्धित करदाताओं को नोटिस/आदेश की तामीली पर विशेष वल दिया जा रहा है। अत: UPGST अधिनियम की धारा-169 के अन्तर्गत प्रावधानित अन्य माध्यमों का उपयोग करते हुए तामीली करायी जानी चाहिए। यदि करदाता के पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाता है तो पावती को साक्ष्य स्वरूप पत्रावली पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

B. विभागीय अधिकारियों द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में पारित किये जाने वाले आदेश में कोई तर्क नहीं दिया जाता, अपितु अधिकांश मामलों में आदेश कारण बताओं नोटिस (DRC-01) की नकल मात्र होते हैं। सुविचारित एवं मुखरित आदेश (Speaking Order) न पारित करते हुए "कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर" अंकित करते हुए मॉग/आदेश पारित किया जाता है। पुन: जिन मामलों में उपस्थित होते हुए स्पष्टीकरण दिया जाता है उन मामलों में भी संक्षिप्त रूप से आदेश पारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है। अत: न्याय निर्णयन में नोटिस के प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करते हुए तर्कपूर्ण ढंग से मुखरित आदेश (Speaking Order) पारित किया जाना चाहिए।

C. विभिन्न प्रकरणों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आदेश पारित करते समय आरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड की राशि का उल्लेख किये जाने के स्थान पर यह अंकित कर दिया जाता है कि धारा-73 के अनुसार (as per section- 73 of the Act) है। यह विधिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि धारा-75(7) में स्पष्ट रूप से अंकित है-

"7-The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice."

स्पष्ट है कि अर्थदण्ड की राशि को कारण बताओं नोटिस और आदेश दोनों में निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पारित आदेश में कर और अर्थदण्ड की राशि जारी कारण बताओं नोटिस (DRC-01) में निर्दिष्ट राशि से कम हो सकती है, किन्तु किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं हो सकती

the

D. माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा-73/74 के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन की कार्यवाही में व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का अवसर अवश्य दिया जाय। व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का अवसर कारण बताओं नोटिस का उत्तर दिये जाने की अन्तिम तिथि एवं समय में पूर्व नहीं होना चाहिए। आदेश यथासंभव व्यक्तिगत सुनवाई की अंतिम तिथि को पारित किये जायें। यदि किसी कारणवश व्यक्तिगत सुनवाई की अन्तिम तिथि पर आदेश पारित किया जाना संभव न हो तो ऐसी दशा में करदाता को नई तिथि से अवगत कराते हुये पुन: व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय या पत्रावली पर सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश सुरक्षित (Reserved) करते हुये युक्तियुक्त समय के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिये जायें।

अत: निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त बिंदुओं से अवगत होते हुए यह सुनिश्चित करें कि माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों में कोई विधिक कमी/बुटि न रहे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मुखरित आदेश (Speaking Order) सबल विधिक आधारों पर पारित किये जाए।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा० नितिन बंसल) आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
- 4 संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेवसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कप्ट करें।

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।

किमश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

रोवा में,

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन-नोएडा। समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ०प्र0।

(वाद अनुभाग) महोदय,

लखनऊ :: दिनांक : ११ जनवरी, 2024

कृपया एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1 (उ०न्या०कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज के पत्र संख्या—2388 दिनांक 29.11.2023 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री निमाई दास, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 27.11.2023 की प्रति प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के डिवीजन बेंच में सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले वादों में व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर प्रदान करने एवं आदेश पारित करने की तिथि के सम्बन्ध में (विशेषकर वह वाद जिनमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण के आदेश दिये गये हैं) निम्न बिन्दु इंगित किये गये हैं —

- "1. The column in which date of personal hearing has to be mentioned, only N.A. is mentioned without mentioning any date.
- 2. The column in which time of personal hearing has to be mentioned, only N.A. is mentioned without mentioning time of hearing.
- 3. In some cases, the date of personal hearing is prior to which reply to the Show Cause Notice has to be submitted this is non-est and this practice has to be discontinued. The date of reply to the Show Cause Notice has to be definitely prior to the date of personal hearing.
- 4. In some cases, the date of personal hearing is on the same date to which reply to the Show Cause Notice has to be submitted-this is non-est and this practice has to be discontinued. The date of reply to the Show Cause Notice has to be definitely prior to the date of personal hearing.
- 5. In all cases observed, the date of passing order either u/s 73(9)/74(9) etc. of the Act is not commensurate to the date of personal hearing. It is trite law that the date of the order has to be passed on the date of personal hearing. For eg.,the date of furnishing reply to SCN is 15.11.2023 and date of personal hearing is 17.11.2023, then the date of order has to be 17.11.2023"

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त बिन्दुओं से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे फील्ड के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में कोई विधिक कमी न रहे तथा उक्त आदेश की उच्च न्यायालय स्तर से पुष्टि हो सके।

यह पत्र किमश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कि 12/11/24 (राजेश कुमार पाण्डेय) एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ<u>0प0सं0 व दिनांक उक्त।</u> प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (उ०न्या०कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

2. ज्वाइंट किमश्नर (आईoटीo), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कुष्ट करें।

1401/24

एडीशनल किमश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

arin